राजस्थान सरकार
अधीक्षक, किशोर गृह सेठी कॉलोनी, जयपुर
(फोन नं. 0141–2614440)

दिनांक

क्रमांक

निविदा आमंत्रण सूचना –02 / 2014–15

राज्यपाल महोदय की और से किशोर गृह, जयपुर में अपचारी व उपेक्षित बालको के लिये एक वर्ष की अवधि के लिये निम्न कार्यो / आपूर्ति हेतु मुहरबंद निविदाऐं निर्धारित प्रपत्र में आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र एवं शर्ते आदि इस कार्यालय में निर्धारित शुल्क जमा करवाकर कार्यालय कार्य दिवस में दिनांक 27.01.2015 को 5:00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते है। बयाना राशि (अर्नेस्ट मनी) या आवश्यक दस्तावेज के बिना जमा निविदा पर विचार नही किया जायेगा।

क्र.सं.	कार्य का नाम	अनुमानित राशि	निविदा शुल्क	बयाना राशि
1	आवासियों के लिये फल व सब्जी आपूर्ति व्यवस्था का कार्य	150000/–	200/–	3000/–

भरी हुई निविदायें दिनांक 28.01.2015 को दोपहर 2:00 बजे तक अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में जमा करायी जा सकती है। निर्धारित समय तक प्राप्त निविदाए दिनांक 28.01.2015को समय 3:00 बजे क्रय समिति द्वारा उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेगी। अपूर्ण एवं बिलम्ब से प्राप्त निविदा पर विचार नही किया जावेगा।

अधीक्षक

दिनांक:–

क्रमांक

प्रतिलिपि:–

1 श्रीमान निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,राजस्थान जयपुर को 5 प्रतियां भेजकर निवेदन है कि निविदा को एक राज्य स्तरीय प्रमुख समाचार पत्र जिसका प्रसारण 50,000 प्रतियां या अधिक हो एवं एक क्षैत्रीय समाचार पत्र में नियमानुसार तत्काल प्रकाशित करावें।
2 श्रीमान निजी सचिव, निदेशक महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान जयपुर।
3. श्रीमान निजी सचिव निदेशक महोदय, आईसीपीएस. जयपुर।
4. स्टोर कीपर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान जयपुर।
5. स्टोर कीपर, आईसीपीएस जयपुर।
6 कार्यालय नोटिस बोर्ड।
7 **ACP** सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता की विभागीय वेबसाईड पर प्रकाशित हेतु निविदा प्रपत्र भिजवाया जा रहा है।

अधीक्षक

राजस्थान सरकार
कार्यालय अधीक्षक किशोर गृह
बाल अधिकारिता विभाग सेठी कांलोनी, जयपुर
निविदा फार्म (बोली डाटा शीट)

1. **विषयः– फल एवं सब्जी आपूर्ति।**
2. निविदादाता का नाम व डाक का पूरा पता ....
....
....
3. पते पर भेजा गया–**अधीक्षक, किशोर गृह, सेठी कोलोनी जयपुर।**
4. संदर्भ निविदा क्रमांक **02/2014–15 दिनांक**
5. निविदा शुल्क की राशि रूपये 200/– अक्षरे दो सौ मात्र नकद (रसीद संख्या)/डी.डी./बैंकर्स चैक नं.......................... दिनांक..............के द्वारा जमा करा दी गई है।
6. हम **अधीक्षक, किशोर गृह ,बाल अधिकारिता विभाग, सेठी कोलोनी जयपुर** द्वारा जारी की गयी निविदा सूचना संख्या **02/2014–15** दिनांक ....में वर्णित सभी शर्तो से तथा संलग्न शीट(इनके सभी पृष्टों पर उनमें उल्लेखित शर्तो को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं) में दी गयी उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते है।
7. फल एवं सब्जी आपूर्ति बाबत हमारी दरें निम्न प्रकार है :–

क्र.स.	सामग्री का नाम	दर (प्रतिकिलो)		विवि
		अंकों में	शब्दों में	
1.	विभिन्न सब्जियां मौसम के अनुसार			
2.	केला			
3.	सेव			
4.	अमरूद			
5.	आम			
6.	अंगूर			
7.	नासपति			
8.	संतरा			
9.	चीकू			
10	पपीता			

8. फर्म द्वारा आदेश प्राप्त करने की दिनांक से 7 दिवस की अवधि के भीतर फल एवं सब्जी की आपूर्ति प्रारम्भ कर दी जावेगी।

9. उपर अंकित की गयी दरें एक वर्ष के लिये मान्य है। इस अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर बढ़ाया भी जा सकेगा।

10. बयाना राशि रूपये 3000/—अक्षरे तीन सजार मात्र के पेटे बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैंक संख्या.............................जो (बैक का नाम)..पर आहारित किया गया है/नकद रसीद संख्या........................./चालान संख्या...........................और दिनांक.......................रूपये....................संलग्न है।

11. फर्म का पंजीकरण नंबर एवं दिनांक ....

12. आयकर स्थाई खाता संख्या..

13. संलग्न प्रमाण पत्रों का विवरण (प्रमाण पत्रों की प्रति संलग्न करे)

    1.
    2.
    3.
    4.
    5.

निविदा देने वाले के हस्ताक्षर मय नाम

प्रतिबन्ध एवं शर्तें

टिप्पणी :– निविदादाताओ को इन शर्तो को सावधानी पूर्वक पढना चाहिये तथा अपनी निविदाये भेजते समय इन्हे पूर्णरूप से स्वीकार किया जाना चाहिये।

1 निविदाओं को निविदा सूचना में दिये गये निर्देशो के अनुसार उचित रूप से मुहर बंद लिफाफे में बन्द करना चाहिये।

2 व्यक्ति/संस्था/फर्म द्वारा प्रस्तुत निविदाओं पर क्रय समिति द्वारा विचार किया जावेगा। इस संबंध में क्रय समिति का निर्णय अंतिम होगा।

3 ठेकेदार को फल एवं सब्जी की अनुमानित लागत रूपये 150000/– का 2 प्रतिशत राशि रूपये 3000/– बयाना राशि (अर्नेस्टमनी) नकद/बैक ड्रापट /बैकर्स चैक के द्वारा अधीक्षक, किशोर गृह जयपुर के नाम निविदा पत्र के साथ जमा करानी होगी। बिना बयाना राशि जमा कराये निविदा पर कोई विचार नही किया जावेगा।

4 i फर्म आदि के गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना क्रेता अधिकारी को लिखित में अनुबन्धित फर्म/संस्था द्वारा दी जायेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से, फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नही किया जायेगा।

ii संविदा के संबंध में फर्म में किसी भी नये भागीदार/भागीदारो को ठेकेदार द्वारा फर्म में तक स्वीकार नही किया जावेगा जब कि वे इसकी समस्त शर्तो को मानने के लिये बाध्य नही हो जाते एवं क्रेता अधिकारी को इस संबंध में लिखित इकरारनामा प्रस्तुत नही कर देते। प्राप्ति स्वीकृति के लिये ठेकेदार की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप से स्वीकार की गयी किसी भागीदार को रसीद उन सबको बाध्य करेगी तथा वह संविदा के किसी प्रयोजन के लिये पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति होगी।

5 निविदादाता द्वारा दरें उचित स्थान पर अंको एवं शब्दो दोनो में लिखनी चाहिये निविदा के प्रत्येक पृष्ट एवं कांट छांट पर निविदादाता के पूर्ण हस्ताक्षर किये जाना अनिवार्य है निविदा प्रपत्र स्याही या टंकण से भरा जावेगा। पैन्सिल से भरी गई किसी भी निविदा पर विचार नही किया जावेगा। ओवर राईटिग मान्य नही होगी। तथा अन्त में निविदा के समस्त निबंधनों एवं शर्तो को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा।

6 मोहरबन्द निविदा प्रपत्र मय बयाना राशि (अनेस्टमनी) राशि रूपये 3000/– दिनांक (समाचार पत्र के प्रकाशित तिथि के 15 दिन) 28.01.2015..को 2:00. बजे दोपहर तक अधीक्षक, किशोर गृह सेठी कांलोनी, जयपुर के कार्यालय में रखे हुये टेण्डर बाक्स में पहुंच जानी चाहिये विलम्ब से प्राप्त निविदाओं पर विचार नही कियाजायेगा। और उसी दिन दोपहर 3:00 बजे निविदाये खोली जावेगी।

7 विधि मान्यता : निविदाये उनके खोले जाने के दिनांक से तीन माह की अवधि के लिये विधि मान्य होगी।

8 ठेकेदार अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य ऐजेन्सी कों नही सौपेगा या उप भाडे (सबलैट) पर नही देगा।

9 निविदादाता का /उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता होगी।

10 असफल निविदादाताओ को बयाना राशि (निविदा स्वीकृत होने की तिथि से) वापस कर दी जायेगी।

11 करार एवं प्रतिभूति निक्षेपः—प सफल निविदादाता को आदेश के प्राप्त होने से 7 दिवस की अवधि के भीतर निर्धारित प्रारूप में एक करार 500 /—रूपये के स्टाम्प पेपर पर निष्पादित करना होगा तथा जिस कार्य के लिये निविदाये स्वीकार की गई है। उसके मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति जमा करानी होगी। यह प्रतिभूति प्रेषण के उस दिनाक से जिसको निविदा के स्वीकार किये जाने की सूचना उसे दी गई है, 7 दिवस के भीतर जमा करायी जायेगी ।

ii निविदा के समय जमा करायी गयी बयाना राशि को प्रतिभूति की राशि कि लिये समायोजित किया जायेंगा।

iii प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वांरा ब्याज का भुगतान नही किया जावेगा।

iv प्रतिभूति राशि के रूप निम्न प्रकार होगेः—

(क) नकद / बैक ड्राफ्ट / बैकर्स चैक / चालान की रसीदी प्रति।

(ख) डाकघर बचत बैक पास बुक जिसे विधिवत गिरवी रखा जायेगा।

(ग) अल्प बचतो को प्रोत्साहन देने के लिये राष्ट्रीय बचत योजनाओ के अन्तर्गत राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, डिफेंस सेविंग्स सर्टिफिकेटस, किसान विकास पत्र या अन्य कोई स्क्रिप्ट / विलेख यदि उन्हे गिरवी रखा जा सकता हो। इन प्रमाण पत्रों को उनके समर्पण मूल्य (सरेण्डर वेल्यू) पर स्वीकार किया जावेगा।

अ करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने का व्यय निविदादाता द्वारा स्वंय वहन किया जायेगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपड़त निःशुल्क प्रस्तुत की जायेगी।

vi प्रतिभूति राशि ठेके की अवधि समाप्त होने पर ठेके को संतोषजनक रूप से पूर्ण कर दिये जाने के बाद, यदि कोई देय बकाया नही है तो लिखित प्रार्थना पत्र देने पर एक माह में लौटा दी जावेगी।

12 बयाना राशि का समपहरण —बयाना राशि को निम्नलिखित मामलो में समपहत कर लिया जायेगाः—

i जब निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा को स्वीकार करने से पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है, या उसमें उपान्तरण करता है

ii जब निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित किसी करार को, यदि कोई हो, निष्पादित नही करता हो।

iii जब निविदादाता प्रदायगी के लिये आदेश देने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नही कराता हो

iv जब वह विहित समय के भीतर प्रदाय आदेश के अनुसार मदों का प्रदाय प्रारम्भ करने में असफल रहता हो ।

13 प्रतिभूति निक्षेप का समपहरणः प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलो में समपहृत कर लिया जावेगा :—

i जब संविदा की किन्ही शर्तो का उल्लंघन किया गया हो।

ii जब निविदादाता सम्पूर्ण प्रदाय संतोषजनक ढंग से करनेमे असफल रहा हो।

iii प्रतिभूति निक्षेप को समपहत करने के मामले में युक्ति युक्त समय पूर्व नोटिस दिया जायेगा। इस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

14 ठेकेदार द्वारा शर्तो का उल्लंघन करने पर उसे 15 दिवस का नोटिस देकर ठेका निरस्त कर दिया जावेगा।

15 ठेके के एक वर्ष की अवधि में यदि फल एवं सब्जी आपूर्ति का कार्य सन्तोषजनक पाया गया तो आपूर्ति का ठेका विभाग के विकल्प पर 6 माह के लिये उन्ही दरो पर बढाया जा सकेगा जिसके लिये संवेदक बाध्य होगा। 6 माह की अवधि के बाद दोनो की सहमति से 6 माह अवधि और बढ़ायी जा सकेगी।

16 ठेकेदार द्वारा निविदा के साथ फर्म का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र आयकर स्थाई खाता संख्या का प्रमाण पत्र (पेंन काड़) की प्रमाणित प्रति संलग्न किये जायेगे। इस के बिना निविदा पर विचार नही किया जायेगा।

17 ठेके दार द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र या अन्य कोई त्रुटि पायी जाने पर निविदा को रद्ध करने का अधिकार अधीक्षक को होगा ।

18 सरकार द्वारा विहीत सेवा कर (सर्विस टैक्स) एवं अन्य सभी कर आदि ठेकेदार द्वारा ही वहन किये जावेगे ।

19 भुगतान : भुगतान अग्रिम नही किया जावेगा। जब तक पक्षकारो को मध्य अन्यथा सहमति न हो जाये का, कार्य के लिये भुगतान निविदादाता द्वारा क्रेता अधिकारी को उचित प्रारूप में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर किया जायेगा।सभी प्रेषण प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किये जायेंगें।

20 यदि निविदादाता ऐसी शर्ते आरोपित करता है, जो इसमें वर्णित शर्तो के अतिरिक्त है या उनके विरोध में है तो उसकी निविदा को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्ध कर दिया जावेगा।

21 क्रेता अधिकारी किसी भी निविदा को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की निविदा नही है, स्वीकार करने, बिना कोई कारण बतलाये किसी भी निविदा को रद्ध करने या जिन कार्यो के लिबे निविदादाता ने निविदा दी है, उन सब के लिये या किसी एक या अधिक के लिये निविदाको स्वीकार करने या एक फर्म/ सप्लायर से अधिक को कार्य वितरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा।

22 निविदादाता करार को निष्पादित करते समय निम्नालिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगाः–
प यदि भागीदारी फर्म हो तो भगीदारी विलेख की एक अभिप्रमाणित प्रति।
पप यदि भगीदारी फर्म रजिस्ट्रार आफ फर्म्स के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष।
पपप एक मात्र व्यक्ति के मामले में आवास एवं कार्यालय का पता टेलीफोन मोबाइल नंबर ।
पअ कंपनी के मामले में कंपनी रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र।

23 यदि संविदा के निर्वचन आशय या संविदा की शर्तो के उल्लंघन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारों द्वारा मामले को विभागाध्यक्ष को भेजा जायेगा जो उस विवाद के लिये एक मात्र मध्यस्थ के रूप में अपने वरिष्ठतम उप अधिकारी को नियुक्ति करेगा। यह उप अधिकारी इस संविदा से संबंद्व नही होगा तथा उसका निर्णय अंतिम होगा। एवं मान्य होगा।

24 समस्त विधिक कार्यवाही यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी पक्षकार (सरकार या ठेकेदार) द्वारा जयपुर में जिला न्यायालय में ही पेश की जायेगी अन्यत्र पेश नही की जायेगी ।

25 निविदा के लिफाफे पर फल एवं सब्जी आपूर्ति हेतु ठेका अंकित किया जावे।

26 निविदा में भरी जाने वाली दर संस्था के भण्डार तक सामग्री पहुंचाने के लिये होगी और उसमें सभी प्रकार के कर, गाड़ी, भाड़ा, लोडिग, अनलोडिंग आदि शामिल होगे।

27 फल एवं सब्जी की गुणवता सुनिश्चित करने हेतु एक समिति का गठन किया जावेगा सामग्री ठीक किस्म की नही होने पर स्वीकार नही की जायेगी अस्वीकृत माल को

ठेकेदार को स्वयं के व्यय पर इस हेतु निर्धारत समयावधि में आवश्यक रूप से उठाना होगा। प्रत्येक दिन सब्जी एवं फल सुबह 9:00 बजे दोनो समय की आपूर्ति की जानी होगी। फल एवं सब्जी का प्रतिदिन संस्था के गेट पर वजन करवाकर गेट रजिस्टर में इन्द्राज किया जाना अनिवार्य होगा और उसी के अनुसार भुगतान किया जायेगा।

28 एक बार ठेका तय हो जाने पर ठेकेदार को सम्पूर्ण ठेके अवधि तक अनुमोदित दरो पर आपूर्ति करनी होगी, चाहे कोई अनपेक्षित घटना या परिस्थिति ही उत्पन्न क्यो न हो जाए।

29 प निविदा पत्र में सुपुर्दगी के लिए विनिर्दिष्ट समय को संविदा के सार रूप में समझा जाएगा तथा सफल निविदादाता क्रेता अधिकारी से फर्म आर्डर के प्राप्त होने से निर्धारित अवधि के भीतर सप्लाई करेगा।
पप परिनिर्धारित क्षति के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में, वसूली सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के आधार पर उन स्टोर के मूल्यो के लिए की जायेगी जिनकी निविदादाता सप्लाई करने में असफल रहा है।

30 आदेशानुसार माल की आपूर्ति एक साथ करनी होगी छोटे छोटे भागो में आपूर्ति स्वीकार नही की जावेगी। यदि ठेकेदार भागो में सप्लाई करता है तो उस पर एक क्रय आदेश की आपूर्ति नही करने पर आपूर्ति नही की गई सामग्री का अधिकतम मूल्य का अधिकतम 10 प्रतिशत तक निम्नानुसार परिनिर्धारित क्षति देय होगी :–

अ निर्धारित समय से (6) 1. घंटा विलंब के लिये	2.5 प्रतिशत
ब निर्धारित समय से (12) 2 घंटा विलम्ब के लिये	5 प्रतिशत
स निर्धारित समय से (18) 3 घंटा विलम्ब के लिये	7.5 प्रतिशत
द निर्धारित समय से (24) 4 घंटे से ज्यादा विलम्ब के लिये	10 प्रतिशत

31 फल एवं सब्जियों की आपूर्ति हेतु प्रति सप्ताह मांग पत्र जारी किया जाएगा। आदेशित फल एवं सब्जी बाजार में उपलब्ध नही होने पर पूर्ण सन्तुष्टि होने पर ही अन्य फल या सब्जी का आदेश दिया जाएगा।

32 सामग्री की आपूर्ति समय पर नही करने पर अधीक्षक, किशोर गृह, जयपुर को अधिकार होगा कि वह उक्त सामग्री बाजार से संवेदक के रिस्क व कोस्ट पर क्रय कर सकेगा और उसमें हुए अतिरिक्त व्यय को ठेकेदार के विचाराधीन बिल या प्रतिभुति राशि या अन्य तरीके से वसूल किया जायेगा।

33 निविदा प्रपत्र में दी गई आपूर्ति की मात्रा केवल सामान्य जानकारी के लिए है, आपूर्ति की वास्तविक मात्रा को कम या अधिक करने का अधिकार अधीक्षक, किशोर गृह, सेठी कोलोनी, जयपुर को होगा।

34 राज्य सरकार एवं विभाग द्वारा समय समय पर क्रय संबंधित जारी आदेश भी इस संविदा की शर्तो के अन्तर्गत माने जायेगें।

हस्ताक्षर निविदादाता

परिशिष्ट "अ"

घोषणा पत्र

मैं/ हम यह घोषणा करते है कि मैं/ हम फल सब्जी के खुदरा व्यापारी हूँ/है। हमने निविदा शर्तो के विरूद्ध कोई शर्ते नहीं लगाई हैं अगर कही अंकित कर दी गई है तो वह वापसी ली हुई मानी जाती हैं/मानी जावेगीं।

यह है कि यदि यह घोषणा गलत पाई जावे तो विभाग अन्य कार्यवाही के अलावा धरोहर राशि जब्त कर सकेगा। और यदि निविदा स्वीकृत कर ली गई है तो उसे निरस्त कर अमानत राशि (सिक्यूरिटी) जब्त कर सकेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर
नाम व पता